

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० द० संख्या 293/2017

1. रघुनन्दन सिंह पे० स्व० जयदेव सिंह ग्राम-जैनामोड, तैतरीयाटोंड, थाना-जरीडीह 2. सुदाम सिंह पे० विजयमल सिंह 3. मान सिंह पिता दिगम्बर सिंह दोनों सा०-जैनामोड तैतरीयाटोंड, थाना-जरीडीह, जिला-बोकारो।

—: बनाम् —:

द्वितीय पक्ष :-

1. मधुसुदन सिंह 2. रतनलाल सिंह 3. रूपलाल सिंह 4. विजय सिंह 5. जितेन्द्र सिंह सभी पिता इश्वरदयाल सिंह 6. देवेन्द्र सिंह 7. कपिलदेव सिंह उर्फ गुड्डु सिंह दोनों पिता मधुसुदन सिंह 8. राहुल सिंह 9. सुनाकर सिंह दोनों पिता रतनलाल सिंह सभी ग्राम-करहरिया, टोला-आमटोंड, थाना-बालीडीह, जिला-बोकारो।

कार्यवाही

बालीडीह थाना अप्राथमिकी संख्या 03/17 जो पुलिस निरीक्षक सह, प्रभारी बालीडीह थाना से अग्रसारात होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उभय पक्षों के बीच जमीन विवाद है जिससे कभी भी विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत उभय पक्ष के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

मौजा का नाम	पुलिस थाना नाम	भूमि का विवरण		प्लॉट नं०	रकबा
		खाता संख्या	चौहद्दी		
करहरिया	बालीडीह	55		1198	01.37 एकड़

उत्तर :- सरकारी सड़क।

पूरव :- इस प्लॉट का शेष जमीन।

दक्षिण :- नीज तथा विनोद कुमार सिंह का जमीन।

पश्चिम :- सरकारी स्कूल का जमीन।

अतः सम्यक विचारोपरान्त द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद द्वारा उभय पक्ष के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही उभय पक्ष के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 14/6/17 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा तथा संबंधित दस्तावेज यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

14/6/17

सूचना को तामिल भाषा में

द्वितीय पक्ष कि कौट ले 52 कार्डिल हेतु समय
आवेदन प्रमाण पक्ष सदस्य संख्या ① ② उपस्थित
हा कार्डिल हेतु समय आदेश
दिनांक 24/6/17 को

24/6/17 प्रथम पक्ष उपरीष्ठ । डाटा काबिल हेतु
समय आवेगा।
दिनांक 5/8/17 को करें।

5/8/17 प्रथम पक्ष के दो सहाय की हजरी एवं
द्वितीय पक्ष के एक सहाय की हजरी एवं
डाटा काबिल हेतु समय आवेगा।
दिनांक 12/8/17 को करें।

12/7/17 प्रथम पक्ष से शीट से डाटा काबिल हेतु समय आवेगा।
द्वितीय पक्ष के एक सहाय की हजरी । डाटा
काबिल हेतु समय आवेगा।

Next date 19.8.17

19.7.17 प्रथम पक्ष के तीन सहाय की हजरी एवं
द्वितीय पक्ष के एक सहाय की हजरी हेतु समय आवेगा।
द्वितीय पक्ष के एक सहाय की हजरी एवं डाटा काबिल हेतु
समय आवेगा।

Next date 29.8.17

29.7.17 प्रथम पक्ष उपरीष्ठ । द्वितीय पक्ष उपरीष्ठ।
डाटा काबिल हेतु समय आवेगा।
दिनांक 2/8/17 को करें।

2/8/17 प्रथम पक्ष के दो सहाय की हजरी।
द्वितीय पक्ष पाँच सहाय की हजरी एवं डाटा
काबिल।
दिनांक 3/8/17 को करें।

3/8/17 द्वितीय पक्ष के आठ सहाय की हजरी।
प्रथम पक्ष के एक सहाय की हजरी।
दिनांक 5/8/17 को करें।

14-फारम सं० 560

की
संख्या
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख के साथ

113

प्रमाण पत्र कि गैर कालान्तर हजारी एवं
पिटर जैफ डीकोरिएट कार्पोरेशन लिमिटेड पक्ष
के खाते खाता की हजारी एवं बिदे
कॉल डीकोरिएट कार्पोरेशन लिमिटेड
हस्ताक्षर पं रखा है।


3/8/13